

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर  
(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 144/2015

**उनवान**

1 रघुवीर पिता छीतर नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)  
\_\_\_\_\_ ( प्रार्थी )

**बनाम**

1. उगमी पत्नि हजारी जाट नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. जमना पिता लक्ष्मण माली नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. भैरू पिता हीरा माली नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. शोभालाल पिता कल्याण जाट नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. देवकरण पिता हजारी गुर्जर नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. देवी पिता हजारी गुर्जर नि0 ऐराडीखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

\_\_\_\_\_ ( अप्रार्थीगण )

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।**

**:: निर्णय ::**

**दिनांक – 01.04.2016**

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 07.01.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बरण पटवार मण्डल बरण भू0अ0नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 160 के आ0न0 251, 256, 259, कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.01.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 7 ने कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी गण की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

**:: आदेश ::**

ग्राम बरण पटवार मण्डल बरण भू0अ0नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 160 के आ0न0 251, 256, 259, कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 300/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।



(संजय माथुर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़